

Fund released to Districts under RNTCP for FY 2017-18 as 1 <sup>st</sup> installment							
SN	Name of DHS	Total Proposal by STO	Uncommitted Unspent Balance as on 01-4-2017 under RNTCP	Adjustment	Released after adjustment under RNTCP	Released under B16.2.11.3.m (MF)	Grand Total Released in Rs
1	2	3	4	5	6 (3-5)	7	8 (7+8)
59	Pilibhit	4848341.00	5640998.00	4848341.00	0.00	1408963.00	1408963.00
60	Pratapgarh	7353496.00	5156463.00	5156463.00	2197033.00	1669420.00	3866453.00
61	Raebareli	6694528.00	4756297.00	4756297.00	1938231.00	1002740.00	2940971.00
62	Rampur	6164374.00	1913096.00	1913096.00	4251278.00	1750748.00	6002026.00
63	Saharanpur	8881830.00	4752567.00	4752567.00	4129263.00	4232613.00	8361876.00
64	Sambhal	5207648.00	2854447.00	2854447.00	2353201.00	553397.00	2906598.00
65	Sant Kabir Nagar	3966249.00	2972875.00	2972875.00	993374.00	276899.00	1270273.00
66	Sant Ravidas Nagar	4192727.00	2775920.00	2775920.00	1416807.00	753607.00	2170414.00
67	Shahjahanpur	7773486.00	5853435.00	5853435.00	1920051.00	2185338.00	4105389.00
68	Shamali	3538426.00	2781628.00	2781628.00	756798.00	876986.00	1633784.00
72	Shrawasti	3031846.00	2311788.00	2311788.00	720058.00	786089.00	1506147.00
69	Siddharth Nagar	5255976.00	4436573.00	4436573.00	819403.00	173685.00	993088.00
70	Sitapur	10329624.00	7775644.00	7775644.00	2553980.00	1987474.00	4541454.00
71	Sonbhadra	5036018.00	3336247.00	3336247.00	1699771.00	1259052.00	2958823.00
73	Sultanpur	5723689.00	3692980.00	3692980.00	2030709.00	917262.00	2947971.00
74	Unnao	7537732.00	2664814.00	2664814.00	4872918.00	527602.00	5400520.00
75	Varanasi	12724447.00	9520915.00	9520915.00	3203532.00	3727033.00	6930565.00
<b>Total</b>		<b>514479573.00</b>	<b>372589161.00</b>	<b>326568916.00</b>	<b>187910657.00</b>	<b>169349576.00</b>	<b>357260233.00</b>

3. उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम के सुचारु एवं गुणवत्तापरक संचालन हेतु मदवार मानक दर्शाते हुये स्पष्ट एवं विस्तृत दिशा-निर्देश एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के सम्बन्धित अनुभाग से समन्वय कर पृथक से जनपदों को निर्गत कराने का कष्ट करें। जनपद को प्रेषित की जाने वाले दिशा-निर्देश में निम्नलिखित वित्तीय बिन्दुओं को भी सम्मिलित करवाने का भी कष्ट करें-

- अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।